निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 35/2024
दायरा दिनांकः—29.04.2024
निर्णय दिनांकः— 24.6.25

उनवान

1. छोटेलाल आयु 69 वर्ष अमरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम घट्टा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामदयाल आयु 57 वर्ष पुत्र भोलाराम मीण निवासी ग्राम घट्टा
2. माणकलाल आयु 65 वर्ष पुत्र प्यारेलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कादरपुरा
3. रमेश आयु 32 वर्ष पुत्र गेन्दीया जाति मीणा निवासी ग्राम घट्टा
4. कैलाश आयु 20 वर्ष पुत्र गेन्दीया जाति मीणा
5. गुड्डी बाई आयु 19 वर्ष पुत्री गेन्दीया जाति मीणा निवासी ग्राम घट्टा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः— 24.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — वादी
2. श्री विनोद भार्गव — प्रतिवादी
3. श्री भंवरसिंह जादौन — 3 ता 5

अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा वादी छोटेलाल प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रामदयाल, माणकलाल के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद धारा 53,183,188 आर0टी0एक्ट प्रकरण संख्या 104/2012 व प्रार्थना पत्र 212 (2) आर0टी0एक्ट माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा वादी छोटेलाल तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रामदयाल, माणकलाल की सुनवाई कर प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है। वादी तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 रामदयाल माणकलाल द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की दिनांक 22.12.2015 को अपील भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में पेश की गई थी जिसे न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रतिवादीगण की उक्त अपील को खारिज फरमा दी गई है वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 एवं प्रार्थीगण के मध्य वाद पत्र की मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमियात का मुकदमा इन्ही पक्षकारान के मध्य इन्ही धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2015

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

को निर्णित किया जा चुका है जो प्रड न्यायालय के अन्तर्गत कानूनन प्रतिबंधित होने से उक्त बाद खारिज फरमाये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वाद पूर्व में निर्णित हो जाने एवं कानूनन प्रतिबंधित होने से खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी (वादी) द्वारा जवाब में बताया कि दिनांक 22.12.2015 के आदेश वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 53,183त्र188 आर0टी0एक्ट का वाद चला था जिसमें उक्त भूमि का बटवारा हो चुका है बटवारें के अनुसार वादी विवाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 1.1070 है0 में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। खाता संख्या 97/97 खसरा नम्बर 210/1 रकबा 0.5311 है भूमि ग्राम घट्टा में वादी का 1/4 हिस्सा निहित है अप्रार्थी रमेश कैलाश गुड्डी बाई द्वारा पेश किया गया वाद पत्र उसके हिस्से तक निर्णित हुआ था जिसमें अप्रार्थी रमेश, गुड्डी बाई को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर बटवारा किया गया था। उक्त विवादित भूमि में वादी द्वारा उसके हिस्से 1/2 व 1/2 के लिए दावा 188,183 आर0टी0एक्ट का पेश किया गया है अप्रार्थी क्रम रमेश कैलाश, गुड्डी बाई, के द्वारा पेश किया गया वाद अलग है एवं वाद कारण अलग है एवं वाद की रिलीफ अलग–अलग है वादी ने जो दावा पेश किया व अपने हिस्से की भूमि के लिए पेश किया है जिसमें वादी द्वारा बटवारा होने के बाद अपने हिस्सा 1/2 व 1/2 ग्राम घट्टा की भूमि को शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त करने में दखल अन्दाजी नही करे। तथा वादी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर लेगे तो पैमाईश कर कब्जा संभलाया जावें। इस तरह अप्रार्थी रमेश व कैलाश द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है रमेश वगै0 बनाम छोटेलाल के विरूद्ध पेश किया गया वाद पृथक–पृथक है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडानीचा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 202 रकबा 0.6070 है0 वादी छोटेलाल एवं प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडानीचा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 97 वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 के खातेदारी में दर्ज है इसी भूमि से सम्बन्धित एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा में रमेश वगै0 बनाम छोटेलाल वगै0 धारा 53,183,188 आर0टी0एक्ट पेश किया गया जिसका निर्णय दिनांक 22.12.2015 को पारित किया गया। वादी द्वारा उक्त निर्णय की पालना न करा कर नया दावा धारा 188,183 आर0टी0एक्ट में पेश किया है विवादित आराजी का पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। भूमि अभी भी शामलाती खातेदारी में दर्ज है। दोनों ही वाद प्रकरणों में पक्षकार, वाद की विषय वस्तु एवं चाहा गया अनुतोष एक समान है। इसलिए यह वाद Doctrine of Res judicata के तहत खारिज होने योग्य है। यह भी विचारणीय हे कि वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183, 188 के तहत वाद अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध पेश किया गया है। जो प्रथम दृष्टया मेंटेनेबल ही नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

अतः उपरोक्त के क्रम में वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)